संख्या-51/2023/2587/58-2023/1762532

प्रेषक,

ओम प्रकाश वर्मा,

विशेष सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,

उत्तर प्रदेश लखनऊ।

उद्यान अनुभाग लखनऊ : दिनांक : 06 दिसम्बर, 2023

विषयः- वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान सं0-83 के अन्तर्गत राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना में भारत सरकार से अवमुक्त केन्द्रांश रू0-302.40 लाख के सापेक्ष 40 प्रतिशत राज्यांश की धनराशि रू0-201.60 लाख को सम्मिलित करते हुए कुल धनराशि रू0-504.00 लाख को अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-75/बजट/2022-23, दिनांक 07.11.2023 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार के पत्र सं0- F.N0.18-4/2017-MIDH(E) दिनांक 25.10.2023 द्वारा योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए द्वितीय किस्त के रूप में एस.सी.एस.पी. श्रेणी हेतु धनराशि रू0-302.40 लाख केन्द्रांश मद में अवमुक्त की गयी है। इस अवमुक्त केन्द्रांश तथा इसके सापेक्ष 40 प्रतिशत राज्यांश धनराशि रू0-201.60 लाख को सम्मिलित करते हुए कुल रू0-504.00 लाख को अवमुक्त कराये जाने का प्रस्ताव योजनाधिकारी द्वारा उपलब्ध कराया गया है, जिसके क्रम में अनुदान सं0-83 के अन्तर्गत केन्द्रांश मद में रू0-302.40 लाख तथा राज्यांश मद में रू0-201.60 लाख इस प्रकार कुल धनराशि रू0-504.00 लाख को निम्नलिखित विवरण के अनुसार उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखते हुए उक्त धनराशि की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदया सहर्ष प्रदान करती हैं:-

adesh.up.gov.in

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

1. निदेशक, उद्यान एवं वित्त नियंत्रक, उद्यान द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रस्तावित धनराशि के सापेक्ष जो भी कार्य कराये जायेंगे वो अपने आप में पूर्ण होंगे तथा कोई शासकीय देयता सृजित नहीं होगी।

2. वित्त नियंत्रक, उद्यान द्वारा कोषागार से धनराशि का अंतरण पी.एफ.एम.एस. के अन्तर्गत एस0एन0ए0 के खाते में अन्तरण किया जायेगा।

3. प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति के पूर्व निदेशक, उद्यान द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि योजना से आच्छादित केन्द्रांश व राज्यांश की समेकित निधि में जमा है।

4. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय राज्य सरकार तथा भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कार्ययोजना के अनुसार योजना की गाइड लाइन्स का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

5. कोषागार से धनराशि का आहरण/व्यय तभी किया जायेगा जब पात्र लाभार्थियों का चयन कर निदेशक, उद्यान द्वारा चयनित लाभार्थियों की सूची विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित की जायेगी।

6. प्रस्ताव में ऑकड़ों की शुद्धता का दायित्व वित्त नियंत्रक, उद्यान का होगा।

7. प्रस्तावित वित्तीय स्वीकृति उपलब्ध् बजट प्राविधान की सीमा के अन्तर्गत रहेगी, यह वित्त नियंत्रक का उत्तरदायित्व रहेगा।

8. वित्तीय स्वीकृतियां जारी करने अथवा धनराशि को विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने से पूर्व विभाग के स्तर पर की जाने वाली समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति अनिवार्यत: सुनिश्चित कर ली जाय। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का विभागाध्यक्ष/ नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है।

9. जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की

स्वीकृति विभागाध्यक्ष/ नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

10. निदेशक, उद्यान सम्भांवित व्यय की फेजिंग विभाग के कार्य की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार कर लें। जहां तक सम्भव हो, व्यय की फेजिंग वित्तीय वर्ष के लिए प्रतिमाह समान रूप से की जाय।

11. विभागाध्यक्ष/अन्य नियंत्रक अधिकारियों द्वारा बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाय कि आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय।

12. व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

13. स्वीकृत की जा रही धनराशि के आहरण एवं व्यय के दौरान वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17.03.2023 में दिये गये निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

14. भारत सरकार के पत्र दिनांक 25.10.2023 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने का दायित्व निदेशक/वित्त नियंत्रक, उद्यान विभाग का होगा।

15. लाभार्थी का चयन निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार भारत सरकार / राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत किये गये दिशा-निर्देशों के अधीन नियमानुसार किया जायेगा।

16. लाभार्थी चयन/अनुदान वितरण में अनियमितता पाये जाने पर सम्बन्धित जनपदीय अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

17. योजना पर किये गये व्यय के संबंध में मासिक विवरण प्रत्येक माह की 05 तारीख तक शासन को उपलब्ध कराये जाय।

18. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय राज्य सरकार तथा भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कार्ययोजना के अनुसार योजना की गाइडलाइन्स का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

19. धनराशि का व्यय केवल उन्हें मदों पर किया जायेगा जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है।

20. इस योजना में स्वीकृत धनराशि का अन्य संचालित योजनाओं के मदों में व्यय हेतु जारी स्वीकृतियों से द्विवरावृत्त न हो।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय

लेखाशीर्ष: 2401007890108 (राष्ट्रीय बागवानी मिशन (के.60/रा.40-के.))

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	स्वीकृत धनराशि
1	083	2401007890108 राष्ट्रीय बागवानी मिशन (के.60/रा.40-के.)	27 सब्सिडी	2,75,40,000 (रुपये दो करोड़ पचहत्तर लाख चालीस हजार मात्र)
2	083	2401007890108 राष्ट्रीय बागवानी मिशन (के.60/रा.40-के.)	44 प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	27,00,000 (रुपये सत्ताईस लाख मात्र)
	कुल			**3,02,40,000** **(रुपये तीन करोड़ दो लाख चालीस हजार मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2401007898908 (राष्ट्रीय बागवानी मिशन)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	स्वीकृत धनराशि
1	083	2401007898908	27	1,83,60,000

		राष्ट्रीय बागवानी मिशन	सब्सिडी	(रुपये एक करोड़ तिरासी लाख साठ हजार मात्र)
2	083	2401007898908 राष्ट्रीय बागवानी मिशन	44 प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	18,00,000 (रुपये अठारह लाख मात्र)
	कुल			**2,01,60,000** **(रुपये दो करोड़ एक लाख साठ हजार मात्र)**

महायोग	5,04,00,000 (रुपये पांच करोड़ चार लाख मात्र)

के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या **E-1-315-X-2023-24- दिनांक:1-12-2023** में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(ओम प्रकाश वर्मा)
विशेष सचिव।

संख्या- 51/2023/2587(1)/58-2023, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- सहायक आयुक्त, भारत सरकार कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि भवन नई दिल्ली को भारत सरकार के पत्र सं0- F.NO.18-4/2017-MIDH(E) दिनांक 25.10.2023 के संदर्भ में।

2- महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।

3- महालेखाकार, लेखा परीक्षक, प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

4- वित्त नियंत्रक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

5- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश। द्वारा-निदेशक

6- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ। द्वारा-निदेशक

7- समस्त मण्डलीय उप निदेशक, उद्यान, उत्तर प्रदेश। द्वारा-निदेशक

8- समस्त जिला उद्यान अधिकारी/अधीक्षक, राजकीय उद्यान/आलू एवं शाकभाजी विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश। द्वारा-निदेशक

9- वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।

10- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।

11- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(विनय कुमार)

उप सचिव।

https://shasanadesh.up